उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73–नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488

****

पत्रांक :-ए- 3120 /सी0ए0 नियुक्ति निविदा दिनांकः 16 अक्टूबर, 2023

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

(Expression of Interest)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम जिसका वर्तमान में वार्षिक टर्नओवर लगभग रू0–700.00 करोड़ है, द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण कार्य/आयकर विवरणी दाखिल कर उसकी पैरवी हेतु अनुभवी सनदी लेखाकारों (चार्टेड एकाउन्टेन्ट)/ संस्थाओं, जिनका मुख्यालय देहरादून में स्थित है एवं जिन्हें उत्तराखण्ड वन विकास निगम जैसी संस्थाओं के कार्यों (टिम्बर एवं उपखनिज) का कम–से–कम 05 वर्ष का अनुभव हो, से ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' दिनांक 30.10.2023 को अपरान्ह् 4.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर मांगी जाती है। प्राप्त तकनीकी निविदायें दिनांक 31.10.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तथा तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा दिनांक 31.10.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधिकृत समिति द्वारा खोली जाएगीं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए तकनीकी/वित्तीय निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करें। विस्तृत निविदा शर्तें, कार्य विवरण, तकनीकी/वित्तीय निविदा का प्रारूप उत्तराखण्ड वन विकास निगम वेबसाईट **www.uafdc.in (http://uafde.in/tenders.html)** से दिनांक 17.10.2023 से डाउनलोड की जा सकती है।

(एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण कार्य/ आयकर विवरणी दाखिल कर उसकी पैरवी करने हेतु कार्य /निविदा शर्तों का विस्तृत विवरण

1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधीनस्थ मुख्यालय/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों के आय–व्यय प्रमाणकों की जॉच करना।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के बैंक खातों की जॉच करना।
3. वनोपज की बिक्री रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्रों की जॉच करना।
4. वर्ष के मध्य वनोपज में कोई क्षति, गबन, स्टॉक में कमी या अन्य माल–हानि के विषय में टिप्पणी देना।
5. वितरक रोकड़ बही की जॉच एवं अवशेष का भौतिक सत्यापन।
6. आयकर अधिनियम–1961 की धारा–44ए,बी के अधीन टैक्स कर टैक्स आडिट रिपोर्ट देना।
7. माउकारों (MACARO) 1988 में निहित निम्न बिन्दुओं पर आडिट रिपोर्टः–
   i. स्थाई सम्पत्तियों के पूर्ण विवरण सम्पत्तियों की संख्या, मात्रा विशिष्टिता व स्थिति को सम्मिलित करते हुए (के सम्बन्ध में सम्यक लेखाभिलेख अनुरक्षित करने तथा सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन से उचित अंतराल पर किया गया है एवं यदि भौतिक सत्यापन में कोई भिन्नता प्राप्त हुई है तो उससे वित्तीय लेखों को प्रभावित कर लिया गया है, के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना)
   ii. यदि किसी सम्पत्ती का वर्ष के दौरान पुनः मूल्यांकन किया गया हो तो पुनः मूल्यांकन के आधार के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना।
   iii. रहतिया व भण्डार का भौतिक सत्यापन समय से उचित अंतराल पर किया जा रहा है, इस तथ्य पर टिप्पणी देना।
   iv. इस तथ्य पर टिप्पणी देना कि रहतियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई गयी प्रकिया उत्तराखण्ड वन विकास निगम के आकार, कार्य क्षेत्र व व्यवस्था के स्वभाव के सापेक्ष उचित एवं पर्याप्त है। यदि नहीं, तो अपर्याप्ता के सम्बन्ध में टिप्पणी देना।
   v. इस तथ्य पर संतुष्टि इंगित करना कि भौतिक सत्यापन में प्राप्त कमी तथा आधिक्य पर उपयुक्त कार्यवाही करते हुए उसे वित्तीय लेखे में ले लिया गया है।
   vi. रहतिया का मूल्यांकन समान्यतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप शुद्ध एवं उचित किया गया है और विगत वर्ष के अनुरूप है। गतवर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में मूल्यांकन प्रगति पर यदि कोई परिवर्तन किया गया है और यदि उसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो तो उसे इंगित करना स्टोर सामग्री, कच्चा माल, पूर्जे मशीन उपकरण एवं अन्य सम्पत्तियों के कय हेतु तथा माल के विकय हेतु वन निगम को कार्य क्षेत्र आकार तथा व्यवसाय के स्वभाव के अनुरूप आन्तरिक नियंत्रण प्रकिया का प्रविधान है तथा विभिन्न स्तरों पर उस प्रकिया का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में टिप्पणी देना।
   vii. वन विकास निगम के आकार, कार्य क्षेत्र व व्यवसाय के स्वभाव के सापेक्ष वन निगम में लागू आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर टिप्पणी देना।
   viii. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित ह्रासित दरें वन विकास निगम में लागू करवाना।
   ix. भविष्य निधि पेंशन आदि योजनाओं के देयों के सम्बन्ध में इस तथ्य के संतुष्टि इंगित करना कि कटौतियों व देयों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। यदि अनियमित्ता है या कोई अवशेष भुगतान हेतु अनियमित रूप से लम्बित है तो उस पर टिप्पणी देना।
   x. विभिन्न विवाद रहित राजकीय करों/शुल्कों (यथा आयकर, धनकर, जी0एस0टी0 आदि शासकीय देय कर) जो देय तिथि के 06 माह के उपरान्त भी भुगतान नहीं किये गये है तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष है, के सम्बन्ध में टिप्पणी देना।

8. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण कार्य/ आयकर विवरणी दाखिल कर उसकी पैरवी करना।

9. समय-समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार, द्वारा आयकर अधिनियम-1961 में किये जाने वाले संशोधनों के सम्बन्ध में यथासमय सूचित करना एवं तदनुसार कार्यवाही करवाना।

10. आयकर के वादों एवं प्रकरणों के सम्बन्ध में देहरादून या देहरादून से बाहर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना एवं वादों एवं प्रकरणों की सफल पैरवी करना। जिसके लिए आपसी सहमति के आधार पर पारश्रमिक का निर्धारण पृथक से किया जायेगा। पैरवी हेतु उपस्थित होने के लिए शासनादेशों के अनुसार प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान पृथक से किया जाएगा।

11. आयकर अधिनियम-1961 के सम्बन्ध में विभिन्न शिकायतों का समय से निस्तारण करना।

12. आयकर अधिनियम-1961 के परिपेक्ष्य में यदि वर्तमान में लेखाकंन की प्रचलित प्रथा में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो इस सम्बन्ध में सुझाव देते हुए तद्नुसार वन विकास निगम हित में उसका अनुपालन करवाना।

13. निविदादाता को संलग्न तकनीकी निविदा प्रपत्र-2 में अपनी फर्म/कम्पनी के बारे में सूचनायें देनी होगी। तकनीकी निवदा प्रपत्र में दी गयी सूचनाओं एवं प्रमाण-पत्रों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा । मूल्यांकन हेतु अधिकतम अंकों का विवरण निम्नानुसार है ।

तकनीकी निविदा प्रपत्र की मद/ विवरण	**निर्धारित अधिकतम अंक**
पंजीकरण एवं मुख्यालय मद	05+20= 25
मानव संसाधन एवं टर्न ओवर मद	20+15= 35
फर्म /कम्पनी का कार्यानुभव मद	40= 40
कुल योग :-	**100**

तकनीकी निविदाओं में 76 प्रतिशत एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली निविदाओं को ही सफल निविदा मानी जायेंगी जिनकी वित्तीय निविदाओं पर ही विचार किया जायेगा।

14. निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबन्द लिफापे में रखकर लिफापे के पृष्ठ भाग में दॉयी ओर सबसे ऊपर " **तकनीकी निविदा / वित्तीय निविदा** " का उल्लेख करते हुए दोनों लिफापों के एक बड़े लिफापे में जिसके पृष्ठ भाग पर दॉयी ओर **"उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण की नियुक्ति (E.O.I)"** अंकित करते हुए " प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड, डालनवाला, देहरादून के पते पर पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट/ कोरियर/हस्त प्रेषण द्वारा दिनांक- 30.10.2023 के अपरान्ह 4:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए ।

15. प्राप्त तकनीकी निविदायें दिनांक 31.10.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तथा तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा दिनांक 31.10.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधिकृत समिति द्वारा खोली जाएगीं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए तकनीकी/वित्तीय निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करें।

फर्म / कम्पनी की पात्रता (Eligibility) :-

1-निविदा में भाग लेने वाली फर्मो/ कम्पनियों में कम से कम 2(दो) एफ0सी0ए0 एवं वस्तु एवं सेवाकर हेतु प्रशिक्षित 04 कुशल कर्मचारियों का होना अनिवार्य है ।

2- फर्म / कम्पनी, का, PAN, TAN तथा IICA, एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय(CAG), में पंजीकृत होना आवश्यक है ।

वरीयता (Preference):- फर्म / कम्पनी जिनका वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत है तथा मुख्यालय देहरादून में स्थित हो को वरीयता दी जायेगी ।

desktop:/account/account

आपसी समन्वय (Mutual Co-ordination) :-

1. मुख्यालय/क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय/डिपो स्तर पर आयकर अधिनियम-1961 से सम्बन्धित किसी भी शंका/समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के द्वारा आपसे सीधे सम्पर्क किया जाएगा, जिसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर मौखिक, लिखित/ई-मेल (जैसा आवश्यक हो) द्वारा करना होगा।
2. समय-समय पर मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर अधीनस्थ कार्यालयों के साथ आयकर अधिनियम-1961 की समीक्षा बैठक आहुत कर वस्तु-स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।

कार्य अवधि :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। प्रबन्ध निदेशक को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए तकनीकी व वित्तीय निविदा स्वीकार/अस्वीकार कर सके। तकनीकी निविदा का प्रारूप-2 संलग्न है, जिसको निविदादाता अपने फर्म/कम्पनी के लेटर पैड या सादे कागज में दे सकता है।
2. अंतिम रूप से स्वीकृत निविदा दर पर निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं आगामी एक वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक निर्धारित निविदाशर्तो के अन्तर्गत कार्य करने का लिखित अनुबन्ध करना होगा ।
3. कार्य संतोषजनक न पाए जाने की दशा में अधोहस्ताक्षरी को अधिकार होगा कि एक माह का नोटिस देकर कार्यादेश निरस्त कर सके।
4. यदि सफल निविदादाता किन्हीं कारणों से अनुबन्ध अवधि से पूर्व कार्य न करने का इच्छुक हो, तो इसके लिए तीन माह का नोटिस देना होगा।

कार्य के एवज में दिये जाने वाले प्रतिफल/पारिश्रमिक (Cost of assignment or contract price) का निर्धारण :-

1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के विभिन्न प्रशासनिक, प्रकाष्ठ विक्रय, उपखनिज विक्रय, प्रकाष्ठ विदोहन (लौगिंग) तथा ईको-टूरिज्म कार्यालयों तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का वार्षिक टर्न ओवर तथा विभिन्न ट्रांसजेक्शन का विवरण संलग्न प्रपत्र-1 में किया गया है। टर्न ओवर में कमी/वृद्धि हो सकती है।
2. निविदादाता को उपरोक्त सभी कार्यों के साथ-साथ प्रपत्र-1 में दिये गये अनुमानित टर्न ओवर तथा अन्य ट्रांसजेक्शन को मध्येनजर रखते हुए प्रतिमाह लिये जाने वाले पारिश्रमिक (Consideration /Remuneration) का उल्लेख वित्तीय निविदा प्रपत्र-3 में शब्दो तथा अंको में करना होगा, जिस पर नियमानुसार देय वस्तु एवं सेवाकर का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ।
3. वार्षिक लेखों के अंकेक्षण एवं आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु कोई भी अग्रिम धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नहीं किया जायेगा ।
4. वार्षिक लेखों के अंकेक्षण एवं आयकर विवरणी दाखिल करने के बिलों में से नियमानुसार श्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी ।
5. निविदादाता को वित्तीय निविदा के साथ 10 लाख की बैंक गारण्टी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एस0टी0डी0आर0/एफ0डी0 आर0 जो कि 30.09.2025 तक वैद्य हो प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में बंधक करते हुए संलग्न करनी होगी। उक्त के संलग्न न होने पर वित्तीय निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. फर्म/कम्पनी का नाम : ....
2. फर्म/कम्पनी का मुख्यालय का नाम तथा पता : ....
3. फर्म/कम्पनी की जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या एवं तिथि : ....
4. फर्म का मुख्यालय :– उत्तराखण्ड के देहरादून में ....
5. फर्म/कम्पनी का Indian Institute of Chartered Accountant में पंजीकरण संख्या एवं तिथि :– ....
6. फर्म/कम्पनी का आयकर पैन नम्बर :– ....
7. फर्म/कम्पनी का टैन नम्बर :– ....
8. फर्म/कम्पनी का सी0ए0जी0 में पंजीकरण सं0 व तिथि :– ....
9. फर्म/कम्पनी में कार्यरत् कार्मिकों की संख्या :–
   (i) एफ0सी0ए0
   (ii) प्रशिक्षित कर्मचारी
10. फर्म/कम्पनी का वर्ष 2022–23 का वार्षिक तुलना पत्र
11. फर्म/कम्पनी द्वारा विगत 05 वर्षों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम जैसी विभागों/संस्थाओं के कार्य (टिम्बर एवं उपखनिज) में कार्य का विवरण

श्रेणी	विभाग/संस्था का नाम	अवधि	वार्षिक टर्न ओवर	सम्बन्धित संस्था का प्रमाण पत्र
(अ) सार्वजनिक उपक्रम				
(1) वनोपज विक्रय से सम्बन्धित				
(2) अन्य वाणिज्यक				
(ब) स्थानीय निकाय व सरकारी विभाग				
(स) प्राइवेट संस्थाएं व शिक्षण संस्थाएं				

संलग्नकों की संख्याः–

हस्ताक्षर/सील

(नोटः– क्र0सं0– 3,4,5,6,7,8,9,11 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी आवश्यक हैं।)

कार्यालय प्रयोग हेतु

निविदा मेरे द्वारा खोली गयी।

हस्ताक्षर/नाम/पदनाम

निविदा हमारे सम्मुख खोली गयी। **हस्ताक्षर/नाम/पदनाम** **हस्ताक्षर/नाम/पदनाम** **हस्ताक्षर/नाम/पदनाम**

अभ्युक्ति :– ....

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. फर्म/कम्पनी का नाम
2. फर्म/कम्पनी का मुख्यालय का नाम तथा पता
3. फर्म/कम्पनी का Indian Institute of Charterd Accountant में पंजीकरण संख्या एवं तिथि
4. मासिक पारिश्रमिक .... **(जी0एस0टी0 अतिरिक्त)**
5. बैंक गारण्टी/एस0टी0डी0आर0 का विवरण

संलग्नकों की संख्या...................

दिनांक ....

हस्ताक्षर/सील

कार्यालय प्रयोग हेतु

निविदा मेरे द्वारा खोली गयी।

हस्ताक्षर/नाम/पदनाम

निविदा हमारे सम्मुख खोली गयी। **हस्ताक्षर/नाम/पदनाम** **हस्ताक्षर/नाम/पदनाम** **हस्ताक्षर/नाम/पदनाम**

अभ्युक्ति :– ....